रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122020-223867 CG-DL-E-22122020-223867

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 654] No. 654] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2020/पौष 1, 1942 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2020/PAUSHA 1, 1942

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 787(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (ठक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के न्यायमूर्ति के परामर्श से, स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2020 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 के नियम 3 के उपनियम (3) में, "पंद्रह सौ रुपये", शब्दों के स्थान पर, "दो हजार रुपये", शब्द रखे जाएंगे ;

[फा. सं. ए-60011/19/2019-एलएपी (न्या.)]

नीरज कुमार गयागी, संयुक्त सचिव

6268 GI/2020 (1)

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र में, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3(अ), तारीख 2 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 373(अ), तारीख 13 मई, 2008, तथा सा.का.नि. 618(अ), तारीख 22 जून, 2016 द्वारा उनमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2020

- **G.S.R. 787(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (la) of sub-section (2) of section 27 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), the Central Government in consultation with the Chief Justice of India, hereby makes the following rules further to amend the Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003, namely:
- 1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Amendment Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003, in sub-rule (3) of rule 3, for the words "one thousand and five hundred rupees", the words "two thousand rupees" shall be substituted;

[F. No. A-60011/19/2019-LAP(JUS)] NIRAJ KUMAR GAYAGI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 3(E), dated the 2nd January, 2003 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 373(E), dated the 13th May, 2008, G.S.R. 618(E), dated the 22nd June, 2016.